

प्रेषक,

श्री सिद्धार्थ बेहुरा,
प्रमुख सचिव,
उपशासन ।

सेवा में,

1- महा निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
उपशासन ।

2- महा निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा,
उपशासन ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक

28/11/2005
अगस्त, 2005

विषय: भारत सरकार द्वारा रोम स्कीम यूरो-ओरियण्टेशन आफ मेडिकल कलेजों के अन्तर्गत मेडिकल कलेजों के साथ उपचार एवं प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहनों को सम्बद्ध करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने हुए मुझे का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त इस योजना देने के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गये हैं:-

1. पूर्ण में शासनादेश सं०-1333/सं०-14-5-165/85टी० सं० 26.03.87 में यह व्यवस्था की गयी थी कि प्रत्येक से 03 प्रोत्साहनों सम्बद्ध रहेंगे जिसमें से एक प्रोत्साहन वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार मेडिकल कलेज का यह निर्णय लिया गया है कि 03 के स्थान पर 04 प्रोत्साहनों प्रत्येक मेडिकल कलेज से सम्बद्ध किया जाय। इनमें से एक प्रोत्साहन वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार मेडिकल कलेज का होगा । इस प्रोत्साहनों में सेवारत चिकित्सा विभाग के कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर माने जायेंगे । 3 में कार्य संचालन चिकित्सा उपचार आदि के लिए प्रोत्साहनों संचालित राष्ट्रीय कार्यक्रम पूर्ण की भाँति किया रहेगा ।

संबंधित प्रोत्साहनों में वेतन आदि आवश्यक बजट इस वर्ष स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थानान्तरित अगले वर्ष से चिकित्सा शिक्षा विभाग अपने बजट में

2. वर्ष 03 प्रोत्साहनों जो मेडिकल कलेज से सम्बद्ध एक प्रोत्साहनों शहरी क्षेत्र का होगा। इन प्रोत्साहनों की भाँति मुख्य चिकित्साधिकारी का नियन्त्रण रहे वहाँ के कार्मिकों के स्थानान्तरण आदि के समस्त प्रोत्साहनों प्राप्त करके ही कार्यवाही की जायगी तथा

स्वास्थ्य केन्द्रों में मेडिकल कॉलेज के छात्रों को अध्ययन व प्रशिक्षण सुविधा प्राप्त रहेगी।

- 13] मेडिकल कॉलेजों से सम्बन्ध किये जाने वाले प्रोत्साहक केन्द्रों के सन्बन्ध में संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं संबंधित जंमुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा परस्पर विचार विमर्श करके निर्णय लिया जायेगा और उसका प्रस्ताव महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से शासन को ज्ञ उपलब्ध कराया जायेगा।
- 14] शव विच्छेदन गृह को मेडिकल कॉलेजों के अन्दर स्थापित किये सन्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की आख्या/प्रकारके कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

प्रियंका सुंदर

सिद्धार्थ केहर
प्रमुख सचिव

संख्या-

11/पाच-6-05-तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी-
- 1- सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उपशासन।
 - 2- प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य। (जोरखण्ड / मेर)
 - 3- संबंधित जंमुख्य चिकित्साधिकारी।
 - 4- निरन्तर नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवार्थ, लखनऊ।
 - 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राजिन्द्र कुमार
विशेष सचिव

श
२/४